भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2808

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2024

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम

2808. श्री सी.एन. अन्नादुरई :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्री जी. सेल्वम :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री नवसकनी के. :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत समर्थित और अनुमोदित क्लस्टरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंड सहित इस कार्यक्रम के लिए आबंटित कुल बजट और संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी पात्र क्लस्टरों को समय पर अनुमोदित निधियां प्राप्त हो गई हैं और यदि हां तो ऐसे क्लस्टरों की संख्या कितनी है, जिनको निधि प्राप्त होने में विलंब हुआ और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत विकास के लिए नए क्लस्टरों की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(च) क्या सरकार एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए मौजूदा क्लस्टरों को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(छ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ज) एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त क्लस्टरों के माध्यम से सृजित रोजगार के अवसरों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(झ) लंबित क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क), (ख), (च) और (छ) : सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना तथा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लेटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचना विकास (आईडी) की स्थापना/उन्नयन करने के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कलस्टरों की सामान्य कठिनाइयों का समाधान करने और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर उनका समग्र विकास किया जा सके।

विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) के दौरान एमएसई-सीडीपी योजना के तहत मौजूदा कलस्टरों के विकास के लिए सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है तथा कुल बजटीय आबंटन एवं निधि संवितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	**बजटीय आवंटन**	**उपयोग किया गया बजट**
	(करोड़ रुपए में)	
2021-22	156.50	135.59
2022-23	120.00	119.54
2023-24	180.00	178.96

स्कीम के दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार, भारत सरकार का अनुदान परियोजना की कार्यान्वयन योजना, उनकी प्रगति, निधियों की आवश्यकता, भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि पर निर्भर करते हुए, परियोजना के अंतिम अनुमोदन के बाद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तीन किस्तों में जारी किया जाता है।

(ग) और (झ) : एमएसई-सीडीपी योजना एक मांग आधारित योजना है जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से मौजूदा कलस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) और अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अनुदान की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव, योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति के आधार पर चल रही परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, कोविड महामारी ने चल रही परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और इस अवधि के दौरान आवंटित निधियों के उपयोग पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है।

मंत्रालय ने योजना के दिशानिर्देशों को सरलीकृत किया है और यह अधिदेशित किया है कि प्रस्ताव एमएसई-सीडीपी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों के अंतिम अनुमोदन के चरणों को कम किया गया है ताकि परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्यों में स्थित मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भी परियोजना के गठन और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करते हैं।

(घ) और (ङ) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में नए क्लस्टरों की पहचान करती हैं।

(ज) : वर्ष 2021 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा स्कीम के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, रोजगार में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2808, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) के दौरान मौजूदा कलस्टरों को सहायता देने के लिए अनुमोदित एमएसई-सीडीपी के तहत परियोजनाओं की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परियोजना		
	सीएफसी	आईडी	कुल
आंध्र प्रदेश	03	18	21
असम	01	-	01
बिहार	-	04	04
गुजरात	05	-	05
हरियाणा	02	-	02
हिमाचल प्रदेश	-	03	03
कर्नाटक	01	-	01
केरल	01	04	05
मध्य प्रदेश	-	01	01
महाराष्ट्र	24	-	24
नागालैंड	03	-	03
ओडिशा	02	02	04
पंजाब	01	-	01
राजस्थान	01	01	02
तमिलनाडु	07	08	15
तेलंगाना	01	13	14
उत्तराखंड	02	-	02
उत्तर प्रदेश	02	10	12

*****